कोर्ट केस/अति महत्वपूर्ण

संख्या- 692/9-1-2024-1784991

प्रेषक,

अमृत अभिजात,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, स्थानीय निकाय, निदेशालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
2. प्रबंध निदेशक, जल निगम(नगरीय), लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 05 जनवरी, 2024

विषयः राज्य सरकार के अधीन कार्यरत विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों के वेतन निर्धारण एवं अन्य देयों के भुगतान संबंधी मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा रिट(ए) याचिका संख्या-19748/2023 जोध पाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 02 अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.11.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, गृह (पुलिस) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 20.12.2023 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों के वेतन निर्धारण एवं अन्य देयों के भुगतान संबंधी मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा रिट(ए) याचिका संख्या-19748/2023 जोध पाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 02 अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.11.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में निम्नवत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं-

''.....राज्य सरकार के अधीन कार्यरत विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों के वेतन निर्धारण एवं अन्य देयों के संबंध में शासनादेश संख्या-60/2016-वे0 आ0-2-1375/दस-2016, दिनांक 21.11.2016 के माध्यम से यह निर्देश निर्गत किया गया है, कि कार्मिकों के वेतन निर्धारण/उनके देयों के आगणन में विशेष सावधानी अपनायी जाये तथा उनके भुगतान से पूर्व संबंधित कार्मिक से इस आशय की सहमति/अण्डरटेकिंग आवश्यक रूप से प्राप्त कर ली जाये कि यदि त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण/आगणन के फलस्वरूप देयता से अधिक भुगतान हो जाता है तो वह उसका समायोजन/वसूली करायेंगे।

2. उक्त शासनादेश के माध्यम से शासन द्वारा यह भी निर्देश निर्गत किये गये थे कि कार्मिकों के वेतन निर्धारण एवं देयों के आगणन की जांच उसी वित्तीय वर्ष में ही पूर्व करायी जाये और त्रुटिपूर्ण

वेतन निर्धारण/देयों के आगणन की जांच में कदाशयता सिद्ध होने पर संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाये तथा त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण/आगणन का लाभ प्राप्त करने वाले कार्मिक से वसूली/समायोजन न हो पाने की दशा में अधिक भुगतान के उत्तरदायी कार्मिक से उक्त धनराशि की वसूली/समायोजन किया जाये।

3. राज्य सरकार के अधीन कार्यरत विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों के वेतन निर्धारण एवं अन्य देयों के भुगतान संबंधी उपरोक्त वर्णित स्पष्ट आदेशों के बावजूद शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि उक्त निर्देशों का अनुपालन संबंधित विभागों द्वारा नहीं किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष शासन को असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है, जो अत्यंत आपत्तिजनक है। ऐसे ही एक प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता के त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप देयता से अधिक हुए भुगतान की वसूली संबंधी निर्गत आदेश को चुनौती दिये जाने संबंधी उक्त रिट(ए) याचिका संख्या-19748/2023 जोध पाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 02 अन्य में दिनांक 29.11.2023 को पारित किये गये आदेश के प्रभावी अंश निम्नवत हैं-

".....From the above, it is very much clear that undertaking should be taken in future from those whose pay fixation is being done, to the effect that they would be liable for recovery for excess amount, if paid, and this enquiry as to corrections of fixation will have to be done in the relevant financial year of fixation. Liability has been further directed to be fastened upon the erring officials.

In the circumstances, there seems to be no justification for the respondents for withholding the post retirement dues of the petitioner as there is noting established that petitioner was asked and did furnish any undertaking in the relevant year or any enquiry was conducted in the relevant year and involvement of the petitioner was established.

Accordingly, in view of the above, let the entire post retirement dues of the petitioner is directed to be cleared without any deduction within a period of three weeks from today or cause be shown as to why this Court now may not start framing charges against such officials who still continue to make recovery despite settled legal position acknowledged in the Government Order dated 21.11.2016. "

4. उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भविष्य में राज्य सरकार के अधीन कार्यरत विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों के वेतन निर्धारण एवं अन्य देयों के शत-प्रतिशत मामलों में कार्मिकों को भुगतान से पूर्व उक्त प्रत्येक कार्मिक से इस आशय की सहमति/अण्डरटेकिंग आवश्यक रूप से प्राप्त कर ली जाये कि यदि त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण/आगणन के फलस्वरूप देयता से अधिक भुगतान हो जाता है तो वह उसका समायोजन/वसूली करायेंगे।

5. उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्मिक के वेतन निर्धारण एवं देयों के आगणन की जांच आवश्यक रूप से उसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करायी जाये और त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण/देयों के आगणन की जांच में कदाशयता सिद्ध होने पर संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित

किया जाये तथा त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण/आगणन का लाभ प्राप्त करने वाले कार्मिक से वसूली/समायोजन न हो पाने की दशा में अधिक भुगतान के उत्तरदायी कार्मिकों से उक्त धनराशि की वसूली/समायोजन प्रत्येक दशा में किया जाये।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त शासनादेश में दिये गये आदेशों का अनुपालन कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकःयथोक्त।

भवदीय,

Digitally Signed by अमृत अभिजात
Date: 21-02-2024 20:19:18
Reason: Approved

(अमृत अभिजात)

प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त महाप्रबंधक, जल निगम (नगरीय) उत्तर प्रदेश।
4. समस्त अनुभाग, नगर विकास विभाग।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद)

अनु सचिव

I/452722/2023

File No.6-1005(002)/380/2023- () -1-

संख्या-

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

गृह (पुलिस) अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक, दिसम्बर 20 ,2023

विषय: राज्य सरकार के अधीन कार्यरत विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों के वेतन निर्धारण एवं अन्य देयों के भुगतान सम्बन्धी मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट (ए) याचिका संख्या: 19748/2023 जोध पाल सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य एवं 02 अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.11.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि राज्य सरकार के अधीन कार्यरत विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों के वेतन निर्धारण एवं अन्य देयों के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या: 60/2016-वे0आ0-2-1375/दस-2016 दिनांक 21.11.2016 के माध्यम से यह निर्देश निर्गत किया गया है, कि कार्मिकों के वेतन निर्धारण/उनके देयों के आगणन में विशेष सावधानी अपनायी जाये तथा उनके भुगतान से पूर्व सम्बन्धित कार्मिक से इस आशय की सहमति/अण्डरटेकिंग आवश्यक रूप से प्राप्त कर ली जाये कि यदि त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण/आगणन के फलस्वरूप देयता से अधिक भुगतान हो जाता है तो वह उसका समायोजन/वसूली करायेंगे।

2. उक्त शासनादेश के माध्यम से शासन द्वारा यह भी निदेश निर्गत किये गये थे कि कार्मिकों के वेतन निर्धारण एवं देयों के आगणन की जांच उसी वित्तीय वर्ष में ही पूर्ण करायी जाये और त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण/देयों के आगणन की जांच में कदाशयता सिद्ध होने पर सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाये तथा त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण/आगणन का लाभ प्राप्त करने वाले कार्मिक से वसूली/समायोजन न हो पाने की दशा में अधिक भुगतान के उत्तरदायी कार्मिक से उक्त धनराशि की वसूली/समायोजन किया जाये।

3. राज्य सरकार के अधीन कार्यरत विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों के वेतन निर्धारण एवं अन्य देयों के भुगतान सम्बन्धी उपरोक्त वर्णित स्पष्ट आदेशों के बावजूद शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि उक्त निदेशों का अनुपालन सम्बन्धित विभागों द्वारा नहीं किया जा रहा है। परिणामस्वरूप मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष शासन को असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है, जो अत्यन्त आपत्तिजनक है। ऐसे ही एक प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता के त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप देयता से अधिक हुए भुगतान की वसूली सम्बन्धी निर्गत आदेश को चुनौती दिये जाने सम्बन्धी उक्त रिट (ए) याचिका संख्या: 19748/2023 जोध पाल सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य एवं 02 अन्य में दिनांक 29.11.2023 को पारित किये गये आदेश के प्रभावी अंश निम्नवत हैं:

" From the above, it is very much clear that undertaking should be taken in future from those whose pay fixation is being done, to the effect that they would be liable for recovery for excess amount, if paid, and this enquiry as to corrections of fixation will have to be done in the relevant financial year of fixation. Liability has

2688577/2024/ -1

File No.6-1005(002)/380/2023- () -1-

I/452722/2023

been further directed to be fastened upon the erring officials.

In the circumstances, there seems to be no justification for the respondents for withholding the post retirement dues of the petitioner as there is noting established that petitioner was asked and did furnish any undertaking in the relevant year or any enquiry was conducted in the relevant year and involvement of the petitioner was established.

Accordingly, in view of the above, let the entire post retirement dues of the petitioner is directed to be cleared without any deduction within a period of three weeks from today or cause be shown as to why this Court now may not start framing charges against such officials who still continue to make recovery despite settled legal position acknowledged in the Government
Order dated 21.11.2016."

4. उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भविष्य में राज्य सरकार के अधीन कार्यरत विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों के वेतन निर्धारण एवं अन्य देयों के शत-प्रतिशत मामलों में कार्मिकों को भुगतान से पूर्व उक्त प्रत्येक कार्मिक से इस आशय की सहमति/अण्डरटेकिंग आवश्यक रूप से प्राप्त कर ली जाये कि यदि त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण/आगणन के फलस्वरूप देयता से अधिक भुगतान हो जाता है तो वह उसका समायोजन/वसूली करायेंगें।

5. उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि कार्मिकों के वेतन निर्धारण एवं देयों के आगणन की जांच आवश्यक रूप से उसी वित्तीय वर्ष में ही पूर्ण करायी जाये और त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण/देयों के आगणन की जांच में कदाशयता सिद्ध होने पर सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाये तथा त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण/आगणन का लाभ प्राप्त करने वाले कार्मिक से वसूली/समायोजन न हो पाने की दशा में अधिक भुगतान के उत्तरदायी कार्मिक से उक्त धनराशि की वसूली/समायोजन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,
Digitally Signed by दुर्गा शंकर मिश्र
Date: 20-12-2023 16:13:5
Reason: Approved
(दुर्गा शंकर मिश्र)
मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश।
2- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
3- महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
4- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
5- निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग/इरला चेक अनुभाग।
8- गार्ड फाइल।
9- CSC इलाहाबाद/लखनऊ
10- उप निबन्धक इलाहाबाद/लखनऊ

आज्ञा से,

(संजय प्रसाद)
प्रमुख सचिव।